

पटना में दिनांक-03 अक्टूबर, 2025 शुक्रवार को अपराह्न 3:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2025 के आलोक में कृषि विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग के पूर्व स्वीकृत पद का समर्पण/ प्रत्यर्पण करते हुए 218 नये पदसृजन की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेलहन मिशन अन्तर्गत कुल 2585.031 लाख (पचीस करोड़ पचासी लाख तीन हजार एक सौ) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अन्तर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) अंतर्गत दलहन योजना के तहत रबी मौसम में मसूर फसल को बढ़ावा देने हेतु मसूर उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा कुल 9585.066 लाख (पंचानवे करोड़ पचासी लाख छः हजार छः सौ) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी में गेहूँ बीज विस्थापन दर में वृद्धि के निमित्त कार्यान्वयन हेतु कुल 3600.00 लाख (छत्तीस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 6. | केन्द्र प्रायोजित रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) योजना (60:40) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 3446.50 लाख (चौत्तीस करोड़ छियालीस लाख पचास हजार) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कृषि विभाग

7. राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप (प्लास्टिक क्रेटस, लेनों बैग एवं फ्रूट ट्रेप बैग) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 3826.6000 लाख (अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

8. खान एवं भूतत्व विभाग में परामर्शदातृ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के रूप में एन०आई०एस०जी० (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट) की सेवा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131ज़(छ) के तहत नामांकन के आधार पर 02 वर्षों के लिए लेते हुए कुल ₹2,79,51,000/- (रुपये दो करोड़ उन्यासी लाख इक्यावन हजार मात्र) एवं जी०एस०टी० शुल्क के व्यय पर लिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

9. सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा अंतर्गत बांका जिला के शम्भुगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास बटुआ नदी पर गोडबोले सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि 8153.95 लाख रुपये (इक्यासी करोड़ तीरपन लाख पंचानवे हजार रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।
9. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

10. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना हेतु ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के "स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय" मद में कुल 500.00 लाख (पांच करोड़) रुपये की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. गृह विभाग, बिहार के विशेष कार्य बल (STF) के प्रस्तावित मुख्यालय भवन, लोदीपुर, पटना के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) की कंडिका-38(11) के आलोक में फर्श क्षेत्र अनुपात (F.A.R) को 1.5 से बढ़ाकर F.A.R. 2.21 करने की स्वीकृति के संबंध में।
11. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

12. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के प्रस्तावित पुरातत्व भवन के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) की उपविधि-38(11) के आलोक में फर्श क्षेत्र अनुपात (F.A.R) 1.5 से बढ़ाकर F.A.R 2.5 की स्वीकृति के संबंध में।
12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधन-2025) की उपविधि -21 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 13. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

14. नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3997, दिनांक-10.09.2015 द्वारा बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी BGCMS (SPMG, Bihar) हेतु सृजित सभी संविदा आधारित 32 पदों का प्रत्यर्पण एवं आवश्यकता आधारित पदों पर Professionals की सेवा प्राप्त करने हेतु ई०-निविदा के माध्यम से Consultancy Agency का चयन करने की स्वीकृति के संबंध में। 14. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

15. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 2,84,78,94,479/- (दो सौ चौरासी करोड़ अठहत्तर लाख चौरानबे हजार चार सौ उनासी रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत डेहरी डालमियानगर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 33,30,42,076/- (तीस करोड़ तीस लाख बयालीस हजार छिहत्तर रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रु० 1,87,13,18,596/- (एक सौ सत्तासी करोड़ तेरह लाख अठारह हजार पाँच सौ छियानवे रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बोधगया सिवरेज नेटवर्क एवं STP निर्माण परियोजना हेतु लागत राशि रु० 1,21,87,73,034/- (एक सौ इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार चौतीस रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. औरंगाबाद जिला के ग्राम भखरुआँ (75) एवं तरारी (आंशिक-74) को नगर परिषद्, दाउदनगर में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-3, 4 एवं 8 के अन्तर्गत संलग्न अधिसूचना प्रारूप के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने एवं धारा-5 अन्तर्गत निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा-6 के अन्तर्गत नगरपालिका का क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।

19. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20. पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु तकनीकी कानूनी सलाहकार (Techno Legal Advisor) के 01 (एक) पद के सृजन के संबंध में।

20. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु कुल रु०-400.00 करोड़ (चार सौ करोड़) मात्र का उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति के संबंध में।

21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22. श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड), सम्प्रति: सेवा से बर्खास्त सहायक अभियंता के विरुद्ध दर्ज सी०बी०आई० कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) में पारित आदेश को क्रिमिनल अपील नं०-403/2019 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा निरस्त कर दिए जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-590(एस)-सह- पठित ज्ञापांक-591(एस) दिनांक-02.02.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने के संबंध में।

22. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

23. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल नवादा के अन्तर्गत नवादा स्टेशन रोड से सुपौल पी.डब्लु.डी. रोड नवादा के चैनेज 0.00 से चैनेज 11.600कि०मी० (कुल लंबाई 11.600कि०मी०) भाया गोसाई बिगहा एवं जेहाना तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 4362.71 लाख (तैतालीस करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

23. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

24. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल पूर्णियां अंतर्गत धमदाहा से कुवारी पथ के कि०मी० 0.00 से 11.20 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹3601.02 लाख (छत्तीस करोड़ एक लाख दो हजार) रुपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

24. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

25. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल बक्सर अन्तर्गत चौसा गोला से कोचस पथ के चैनेज 0.00 कि०मी० से 22.00 कि०मी० (कुल लंबाई 22.00 कि०मी०) का मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹11258.28 लाख (एक सौ बारह करोड़ अठावन लाख अठाईस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

25. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

26. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर-हंसडीह पथ (एस. एच.-19) लोहिया ब्रीज से एन.एच.-80 बाईपास चैनेज 0.00 कि०मी० से 3.700 कि०मी० (कुल लंबाई 3.70 कि०मी०) में 4-लेन निर्माण कार्य हेतु कुल ₹5017.38 लाख (पचास करोड़ सत्तरह लाख अड़तीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

26. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

27. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल मोतिहारी अन्तर्गत नरीरगीर-चम्पापुर-आदापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.95 कि०मी० एवं कि०मी० 6.95 से 15.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹5741.13 लाख (सन्तावन करोड़ एकतालिस लाख तेरह हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

27. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

28. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल छपरा अन्तर्गत दिघवारा, भेल्दी, अमनौर, तरैया से सीमरी बांध पथ के कि०मी० 42.00 से 54.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹4868.51 लाख (अड़तालिस करोड़ अड़सठ लाख इक्कावन हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

28. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

29. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल मधुबनी अन्तर्गत राजनगर-मोतीपुर-खैरा पथ के कि०मी० 0.00 से 12.50 (कुल लंबाई 12.50 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹7337.73 लाख (तिहत्तर करोड़ सैतीस लाख तिहत्तर हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

29. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

30. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल अररिया अंतर्गत जयनगर से घुरना (भारत-नेपाल सीमा पथ) भाया नरपतगंज पथ (कुल लंबाई 35.77 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹13907.54270 लाख (एक सौ उन्चालीस करोड़ सात लाख चौवन हजार दो सौ सत्तर) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

30. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

31. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर-अगरपुर-कोतवाली पेम्ड शोल्डर (10मी० चौड़ाई) चैनेज 0.000 कि०मी० से 17.750 कि०मी० सहित 2-लेन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11402.40 लाख (एक सौ चौदह करोड़ दो लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

31. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

32. केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) अंतर्गत पथ प्रमंडल ढाका अन्तर्गत गाँधी चौक से लौखान पथ के कि०मी० 0.00 से 12.00 कि०मी० का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹5260.95 लाख (बावन करोड़ साठ लाख पंचान्धे हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

32. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

33. पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर जन-निजी भागीदारी के माध्यम से पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) निर्गत करने की स्वीकृति के संबंध में।

33. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

34. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर, गयाजी मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच०सी०पी० डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt.Ltd., अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के संबंध में।
34. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

35. पंचायत उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर मतदान दिवस दिनांक 09.07.2025 को चिन्हित मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग/स्ट्रीमिंग, सभी मतदान केन्द्रों पर चेहरा पहचान प्रणाली (Facial Recognition System) की व्यवस्था तथा मतगणना दिवस दिनांक 11.07.2025 को मतगणना स्थल पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नेशन आधारित रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग और वेबकास्टिंग (Optical Character Recognition Based Recording, Streaming & Webcasting) का कार्य ₹1,88,69,530.00 (एक करोड़ अठ्ठासी लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ तीस रुपये) मात्र की राशि की लागत से नामांकन के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड को करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।
35. स्वीकृत।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

36. बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रोन्नति के पद यथा वरीय उत्पाद रसायन परीक्षक (अराजपत्रित) का 03 (तीन) पद एवं मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक (राजपत्रित) के 01 (एक) पद इस प्रकार कुल 04 (चार) पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
36. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

37. केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना के उप योजना 'सामर्थ्य' के तहत शक्ति सदन योजना को राज्य में प्रवृत्त करने के निमित्त रूपया 20,20,82,000/- (बीस करोड़ बीस लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय किये जाने तथा राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित 'अल्पावास गृह' को शक्ति सदन योजना में समाहित कर संचालन की स्वीकृति।
37. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

38. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर गैर-परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के चयन की स्वीकृति।
38. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

39. राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के सुदृढीकरण हेतु बाह्य सत्रों (Outreach Sessions) एवं आदर्श प्रतिरक्षण केन्द्रों (Model Immunization Centres) पर कार्य करने हेतु रु०-11,500/- (ग्यारह हजार पाँच सौ) प्रतिमाह पर संविदागत नियोजित ए०एन०एम० कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर रु०-15,000/- (पन्द्रह हजार) किये जाने तथा 05 प्रतिशत वार्षिक मानेदय वृद्धि का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

40. अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत संकल्प संख्या-2551(14), दिनांक-09.09.2025 में संशोधन के संबंध में।

स्वास्थ्य विभाग

41. राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु लागू बंध पत्र (बॉण्ड) की व्यवस्था में संशोधन करने के संबंध में।

शिक्षा विभाग

42. वित्तीय वर्ष 2025-26 से मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ग 9वीं एवं 10वीं के सामान्य कोटि के छात्र/छात्रा (अल्पसंख्यक सहित) के लिए निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर ₹1800/- (अठारह सौ) को संशोधित करते हुए ₹3600/- (छत्तीस सौ) वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एवं दर संशोधन के फलस्वरूप उक्त योजना हेतु कुल वार्षिक व्यय ₹99,21,24,000/- (निन्यानबे करोड़ इक्कीस लाख चौबीस हजार रुपये) की स्वीकृति के संबंध में।

शिक्षा विभाग

43. राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र/छात्रा तथा प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित वार्षिक छात्रवृत्ति दर को कक्षा- I से IV तक रु० 600/- (छः सौ) को संशोधित करते हुए रु० 1200/- (बारह सौ), कक्षा- V से VI तक रु० 1200/- (बारह सौ) को संशोधित करते हुए रु० 2400/- (चौबीस सौ) एवं कक्षा- VII से VIII तक रु० 1800/- (अठारह सौ) को संशोधित करते हुए रु० 3600/- (छत्तीस सौ) वार्षिक पुनर्निर्धारित किये जाने की स्वीकृति एवं दर संशोधन के फलस्वरूप उक्त योजना हेतु कुल वार्षिक व्यय रु० 3,00,00,00,000/- (तीन अरब) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

44. गया जिलान्तर्गत अंचल-डोभी के मौजा-मुड़ियल, थाना सं०-207, खाता सं०-66, खेसरा सं०-2194 का कुल रकबा-40 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म-नरसरी भूमि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-17, बोधगया वाहिनी की स्थायी अधिष्ठापन हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

44. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

45. कैमूर जिलान्तर्गत अंचल-चैनपुर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु मौजा-बड़ी तकिया, थाना सं०-308, खाता सं०-76, खेसरा सं०-32, रकबा-24.69 एकड़ कृषि विभाग, बिहार, पटना की भूमि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क हस्तान्तरित करते हुए उक्त भूमि के बदले कृषि विभाग, बिहार, पटना को अंचल-चैनपुर, मौजा-रणजीतपुर, थाना सं०-152, खाता सं०-22, खेसरा सं०-21 एवं 47, रकबा-9.52+5.48=15.00 एकड़ एवं मौजा-मझिगाँवा, थाना सं०-913, खाता सं०-134, खेसरा सं०-123, रकबा-9.69 एकड़ कुल रकबा-24.69 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) अनावाद बिहार सरकार की समतुल्य भूमि कृषि विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

45. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

46. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-दुजरा-दियारा, थाना नं०-139 में कुल प्रस्तावित रकबा-1.23 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर पटना मेट्रो रेल परियोजना के निमित्त C & D Waste Plant के निर्माण हेतु 4,200/-रु० प्रति डी० की दर से सलामी-5,16,600/-रु० एवं सलामी का 05 प्रतिशत व्यवसायिक वार्षिक लगान 25,830/-रु० के आधार पर 05 वर्षों का लगान अर्थात् 1,29,150/-रु० सहित कुल राशि-6,45,750/-रु० (छः लाख पैंतालीस हजार सात सौ पचास) रु० के भुगतान पर 05 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर लीज नवीकरण विकल्प के साथ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि० के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

46. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

47. नालन्दा जिलान्तर्गत अंचल-राजगीर के मौजा-राजगीर, थाना सं०-485 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा-10 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) भवन निर्माण, बिहार, पटना के स्वामित्व की भूमि पाँच सितारा होटल के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

47. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

48. सारण जिलान्तर्गत अंचल-गरखा के मौजा-फुलवरिया, थाना सं०-406 के खाता सं०-114, खेसरा सं०-2242, रकबा-8.561 एकड़ एवं खाता सं०-248, खेसरा सं०-2241, रकबा-8.939 एकड़ कुल रकबा-17.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिकान परती कदीम भूमि खेल अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
48. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

49. सिवान जिलान्तर्गत अंचल-महाराजगंज के मौजा-बड़का टेघड़ा, थाना सं०-137, खाता सं०-48, खेसरा सं०-1004, की कुल प्रस्तावित रकबा-05 एकड़, किस्म-गैरमजरूआ मालिक परती कदीम बिहार सरकार की भूमि केन्द्रीय विद्यालय, महाराजगंज के स्थायी भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
49. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

50. बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना अन्तर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटि के 26 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।
50. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

51. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों हेतु कुल 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।
51. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

52. राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र के सुचारु रूप से संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 45 पदों के सृजन के संबंध में।
52. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

53. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के सुचारु संचालन हेतु स्थायी स्थापना अन्तर्गत विभिन्न कोटि के कुल 172 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।
53. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

54. बिहार राज्य के अन्तर्गत वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ-साथ नौ नये वन प्रमंडलों का सृजन एवं उसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन के संबंध में।
54. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

55. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार अन्तर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न कोटि के कुल 78 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। 55. स्वीकृत।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

56. बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2025" को कार्यान्वित किये जाने हेतु "बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025" की स्वीकृति के संबंध में। 56. स्वीकृत।

कृषि विभाग

57. राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक कुल 02 (दो) वर्षों में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), लखीसराय के बाजार प्रांगण का आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 41,71,03,000/- (एकतालीस करोड़ एकहत्तर लाख तीन हजार) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में तत्काल 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 57. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

58. बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया धाम का फेज-1 के तहत वृहद एवं समग्र विकास किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि 64,77,04,000/- (चौसठ करोड़ सतहत्तर लाख चार हजार) रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 58. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

59. पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत लखनपुर पानी टंकी से सरौन, मकवा, नवटोलिया, मुजफ्फरगंज होते हुए भोमासी पुल (हवेली खड़गपुर पथ) तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (इलेक्ट्रिक यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य सहित) कार्य हेतु कुल 5801.53 लाख (अनठावन करोड़ एक लाख तिरपन हजार) मात्र रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 59. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

60. सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर अन्तर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 52,35,59,000 (बावन करोड़ पैंतीस लाख उनसठ हजार रुपये) है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। 60. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

61. राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व से संचालित "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से) उत्तीर्ण को भी शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों में आंशिक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

61. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

62. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना 'सम्बल' के अन्तर्गत देय बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के प्रावधानों तथा कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण के प्रकार एवं उनकी संख्या में विस्तारीकरण एवं प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये जाने तथा इसके निमित्त रूपया 8,101,57,170/—(आठ करोड़ ग्यारह लाख सत्तावन हजार एक सौ सत्तर रुपये) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

62. स्वीकृत।

विधि विभाग

63. बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति के संबंध में।

63. स्वीकृत।

वित्त विभाग

64. एम०ए०सी०पी० योजना, 2010 को निरसित करते हुए दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से "बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025" लागू किये जाने के संबंध में।

64. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

65. केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता योजना (ASUMP) अन्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्रांश की राशि ₹3038.1620 लाख (तीस करोड़ अड़तीस लाख सोलह हजार दो सौ रु०) मात्र एवं राज्यांश की राशि ₹2025.4414 लाख (बीस करोड़ पच्चीस लाख चौवालीस हजार एक सौ चालीस रु०) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹5063.6034 लाख (पचास करोड़ तिरसठ लाख साठ हजार तीन सौ चालीस रु०) मात्र का वार्षिक कार्य योजना तथा ₹1528.3425 लाख (पन्द्रह करोड़ अठ्ठाईस लाख चौतीस हजार दो सौ पचास रु०) मात्र के पूरक कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

65. स्वीकृत।

गृह विभाग

66. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के अंतर्गत राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु बिहार राज्य को आवंटित राशि के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में नये अग्निशमन भवनों के निर्माण, विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहनों/उपकरणों के क्रय एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुल-₹340,90,00,000 (तीन सौ चालीस करोड़ नब्बे लाख रु०) मात्र {केन्द्रांश की राशि ₹255,68,00,000 (दो सौ पचपन करोड़ अड़सठ लाख रु०) मात्र एवं राज्यांश की राशि ₹85,22,00,000 (पचासी करोड़ बाईस लाख रु०) मात्र} की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹8431.03 लाख (चौरासी करोड़ एकतीस लाख तीन हजार रु०) {केन्द्रांश ₹7670.40 लाख (छिहत्तर करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार रु०) मात्र तथा राज्यांश राशि ₹760.63 लाख (सात करोड़ साठ लाख तिरेसठ हजार रु०) मात्र} विमुक्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

66. स्वीकृत।

गृह विभाग

67. आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी उपकरण, तकनीकी सहयोग तथा प्रशिक्षण कराने के निमित्त C-DAC (Total Service provider) द्वारा Command & Control Centre, Rajbanshi Nagar, Patna में लगाये जाने वाले नये सर्वर के क्रय हेतु उपलब्ध करायी गयी विशिष्टियों के आलोक में बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2024 के नियम-131 (द) के आलोक में GeM Portal पर नामांकन के आधार पर एकल स्रोत से अधिप्राप्ति की स्वीकृति के संबंध में।

67. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

68. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का वार्षिक मानदेय निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप उनका मानदेय भुगतान, गणना प्रपत्र, बी०एल०ओ० किट तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संबंधी व्यय का भुगतान हेतु संभावित अतिरिक्त व्यय की कुल राशि ₹122,00,00,000/- (एक सौ बाईस करोड़) रुपये मात्र का वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत निर्वाचन विभाग के मांग संख्या-06, मुख्य शीर्ष-2015, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103, उपशीर्ष-0001 के विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय में बिहार आकस्मिकता निधि से उपबंध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

68. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

69. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) (यथा संशोधित) के क्रमांक-20 पर दर्ज कलवार एवं अन्य जातियों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाने के संबंध में।

69. स्वीकृत।

गृह विभाग

70. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम, 48) की धारा-497(2) के अंतर्गत बिहार आपराधिक प्रक्रिया (अभिरक्षा एवं सम्पत्ति का निस्तार) नियमावली, 2025 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

70. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

71. साईबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई, बिहार से पृथक करते हुए साईबर अपराध एवं साईबर सुरक्षा के लिए एक समर्पित "साईबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई" का गठन करने एवं इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 23 (तेईस) नये पदों को सृजन और पूर्व से सृजित एवं विमुक्त विभिन्न कोटि के 321 (तीन सौ इक्कीस) पदों को कर्णांकित किये जाने तथा 207 पदों को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

71. स्वीकृत।

गृह विभाग

72. महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के मुख्यालय हेतु बिहार सचिवालय सेवा/बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा/बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा तथा कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न कोटि के स्थायी रूप से कुल-42 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

72. स्वीकृत।

गृह विभाग

(कारा)

73. भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-23 में प्रावधानित दंड सामुदायिक सेवा के क्रियान्वयन हेतु 'बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली, 2025' गठित किये जाने के संबंध में।

73. स्वीकृत।

गृह विभाग

74. बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2021 के नियम-4 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत कनीय सेवा संवर्ग (अराजपत्रित, वर्दीधारी) के विभिन्न कोटि के कुल-2075 (दो हजार पचहत्तर) अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।
74. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

75. मेसर्स शालीमार पैलेट फीड्स लि०, औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर, मरंगा, जिला-पुर्णियाँ को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में।
75. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

76. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० के निविदा शर्त में प्रावधानित अधिकतम अवधि (यथा दो वर्ष तथा अधिकतम एक वर्ष का अवधि विस्तारण) को अधिक्रमित (Supersede) करते हुए विशेष परिस्थिति में Bihar Financial (Amendment) Rules, 2024 के नियम सं०-131३(त) के तहत नामांकन (Nomination) के आधार पर कार्यहित में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० द्वारा TCS (iON) को वर्तमान निविदा एवं अनुबंध के दर एवं शर्त पर दिनांक-27.09.2025 से आगे तीन महीने के लिए निर्गत कार्यादेश की घटनोत्तर स्वीकृति।
76. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

77. पटना मेट्रो रेल परियोजना अन्तर्गत Priority Corridor के संचालन हेतु विभिन्न अवयवों यथा-Graphics Stickerिंग फीस, स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, विद्युत कनेक्शन राशि, पावर अनुपलब्धता शुल्क एवं पर्यवेक्षण शुल्क, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क, प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए संचालन एवं रख-रखाव का व्यय तथा वेतन, भत्ते एवं कार्यालय व्यय की कुल अनुमानित राशि ₹7381.21526 लाख (तिहत्तर करोड़ इक्कासी लाख ईक्कीस हजार पाँच सौ छब्बीस रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
77. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

78. भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, पटना के साथ बंदोबस्त भू-खण्ड पटना-गया रोड स्थित मौजा-मुहर्म्मपुर, खासमहाल प्लॉट सं०-1029, रकबा-40 कट्ठा 05 धुर लीज होल्ड भू-खण्ड के लीज नवीकरण के पश्चात् लीज एकरारनामा में लगाने वाले स्टाम्प शुल्क की राशि-1,50,93,750/- (एक करोड़ पचास लाख तिरानवे हजार सात सौ पचास) रु० की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में।
78. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

79. बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना, 2025 की स्वीकृति के संबंध में। 79. स्वीकृत।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

80. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु पटना जिला के शहरी क्षेत्रों में होर्डिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु क्षेत्रीय प्रचार योजना के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 2,57,00,000/- (दो करोड़ सत्तावन लाख) रुपया मात्र की राशि व्यय करने की स्वीकृति। 80. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

81. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 81. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

82. वित्तीय वर्ष 2025-26 से राज्य योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को वर्तमान में प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि 3405/- (तीन हजार चार सौ पाँच रु०) को बढ़ाकर 12000/- (बारह हजार रु०) (एक हजार प्रति माह की दर से) प्रति केन्द्र करने एवं डिजिटल गतिविधियों के सम्पादन हेतु स्मार्ट फोन क्रय करने के लिए प्रत्येक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को सहायता राशि एक मुश्त 10000/- (दस हजार रु०) की स्वीकृति के संबंध में। 82. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

83. शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु 3 (तीन) वर्षों के लिए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त लिपिक के 40 पद एवं बेल्ट्रॉन से संविदा आधारित कम्प्यूटर ऑपरेटर के 40 पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 83. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

84. स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ता एवं आशा फ़ैसिलीटेटर के पारितोषिक में वृद्धि एवं "ममता" कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में निर्गत किये गये संकल्प सं० 197(7) दिनांक-06.08.2025 एवं 198 (7) दिनांक-06.08.2025 को "दिनांक-01.07.2025 की तिथि से प्रभावी" किये जाने हेतु स्वीकृति के संबंध में। 84. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

85. पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लि० को परियोजनाओं के संचालन/रख-रखाव/क्रियान्वयन हेतु अन्य सरकारी उपक्रमों की भाँति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के उपक्रम (जो कि पूर्व से कार्यरत 04 SPVs के क्षमताओं के सदुपयोग हेतु Re-purposing के लिए समतुल्य) के रूप में कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में।
85. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

86. श्री प्रशान्त कुमार, तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति के संबंध में।
86. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

87. राज्य में औद्योगिक/वाणिज्यिक/ग्रीन बिल्डिंग इत्यादि गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (SASCI Reforms), 2025-26 एवं अनुपालन प्रक्रिया में कमी और विनियमन में ढील (Compliance Reduction & Deregulation) के संदर्भ में बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2025) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।
87. स्वीकृत।

गृह विभाग

88. आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के अंतर्गत आपात अनुक्रिया वाहन (ERVs) के परिचालन कार्य के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेन्ट ऑर्गेनाइजेशन (AWPO) नामक एजेन्सी से सेना के सेवानिवृत्त चालकों की स्वीकृत मानदेय की राशि प्रति माह ₹ 25,750 (पच्चीस हजार सात सौ पचास रु०) मात्र से बढ़ाकर ₹ 30,000 (तीस हजार रु०) मात्र करने की स्वीकृति।
88. स्वीकृत।

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

89. सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं सहायक निदेशक तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी एवं सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के पदों पर पूर्व सैन्य पदाधिकारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु 'बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2025' के गठन के संबंध में।
89. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

90. "बिहार सिविल कोर्ट, कोर्ट मैनेजर (चयन, नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2025 [The Bihar Civil Court, Court Managers (Selection, Appointment, and other Service conditions) Rules, 2025]" की स्वीकृति के संबंध में। 90. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

91. बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति। 91. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

92. बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति। 92. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

93. निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद जिला न्यायाधीश कोटि से, उप निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) से एवं सहायक निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) कोटि से अर्थात् कुल 03 (तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 93. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

94. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति। 94. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

95. बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन के संबंध में। 95. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

96. पटना के करबिगहिया क्षेत्र में अवस्थित निष्क्रिय विद्युत ताप ऊर्जा शक्ति घर को पर्यटन, शैक्षणिक शोध एवं विरासत संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संग्रहालय (Power Museum) के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। 96. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

97. "बिहार महादलित विकास मिशन" के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय करने के लिए एकमुश्त ₹25,000/- (पचीस हजार रु०) मात्र की दर से (₹25,000 x 9817)= 24,54,25,000/- (चौबीस करोड़ चौवन लाख पचीस हजार रु०) मात्र तथा 01 सितम्बर, 2025 के प्रभाव से परिवहन भत्ता एवं स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि क्रमशः ₹1,900/- से ₹2,500/- एवं ₹900/- से ₹1500/- प्रति माह की दर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7 माह के लिए ₹27,48,76,000/- (सत्ताईस करोड़ अड़तालीस लाख छिहत्तर हजार रु०) मात्र अर्थात् कुल अनुमानित व्यय ₹52,03,01,000/- (बावन करोड़ तीन लाख एक हजार रु०) मात्र तथा आगे के वर्षों में कुल वार्षिक व्यय ₹47,12,16,000/- (सैतालिस करोड़ बारह लाख सोलह हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

97. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

98. कतिपय शर्तों के अधीन पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की मौजा-मोकामा खास, थाना सं०-30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिसमिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

98. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

99. मोतिहारी, छपरा एवं भागलपुर हवाई अड्डा का पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली से कराने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली-2024 के नियम 131 (झ)(छ) की उपकंडिका-iii के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने एवं पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (Pre Feasibility Study) शुल्क अग्रिम के रूप में ₹1,21,58,838/- (एक करोड़ इक्कीस लाख अन्ठावन हजार आठ सौ अड़तीस रुपये जी०एस०टी० सहित) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

99. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

100. भागलपुर जिला के सुल्तानगंज अंचल अंतर्गत भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु 931 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने के निमित्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹4,72,72,00,000/- (चार सौ बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख रुपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

100. स्वीकृत।

**मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)**

- | | |
|--|---------------|
| 101. राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमानन खेल (Aero Sport) के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमानों एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति तथा विमानन अवसंरचना के विकास हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI), नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की स्वीकृति के संबंध में। | 101. स्वीकृत। |
|--|---------------|

**मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)**

- | | |
|--|---------------|
| 102. सहरसा जिला अवस्थित हवाई अड्डा के रनवे विस्तार हेतु अतिरिक्त 12.08891 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹1,47,76,56,180/- (एक सौ सैंतालीस करोड़ छिहत्तर लाख छप्पन हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। | 102. स्वीकृत। |
|--|---------------|

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग

- | | |
|---|---------------|
| 103. खेलगाँव, नई दिल्ली स्थित MTNL की परिसम्पत्तियों (यथा-फ्लैट नं०-492, 494, 503 एवं बंगला नं०-850, 851, 852 और 853) के क्रय हेतु रुपये 68.43 करोड़ मात्र एवं अन्य लागत शुल्क (यथा-लीज, फ्री-होल्ड आदि) के लिए अनुमानित रुपये 6.84 करोड़ अर्थात् कुल रुपये $(68.43+6.84)=75.27$ करोड़ (पचहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख रुपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बंध में। | 103. स्वीकृत। |
|---|---------------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | |
|--|---------------|
| 104. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान-सम्प्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त अनुरोध एवं प्राप्त विधिक राय के आलोक में Arbitration Award के विरुद्ध एकमुश्त रु० 1,50,00,00,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड़) मात्र के प्रावधान सहित कुल रु० 746,64,00,000/- (रुपये सात सौ छियालीस करोड़ चौसठ लाख) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में भुगतान हेतु रु० 1,50,00,00,000/- (रुपये एक अरब पचास करोड़) मात्र राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। | 104. स्वीकृत। |
|--|---------------|

आपदा प्रबंधन विभाग

105. राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में फॉलोअर श्रेणी के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत 177 पदों के अतिरिक्त कुल 73 नये पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 105. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

106. गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 09 (नौ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति तथा उक्त के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार रुपये 4,47,37,692/—(रुपये चार करोड़ सैंतालीस लाख सैंतीस हजार छः सौ बानवे) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। 106. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

107. पंचायत आम निर्वाचन, 2026 में मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. मतदान कराने के निमित्त इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) हैदराबाद से मल्टी पोस्ट ई.वी.एम., पॉवर पैक, टोटलाईजर मशीन एवं डिटैचेबल मेमरी मॉड्यूल (Detachable Memory Module) को कुल ₹2,08,27,05,000.00 (दो सौ आठ करोड़ सताईस लाख पाँच हजार रुपये) मात्र की राशि की लागत से नामांकन के आधार पर क्रय करने की स्वीकृति के संबंध में। 107. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

108. संग्रहालय निदेशालय (मुख्यालय) तथा अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारु रूप से चलाने हेतु न्यूनतम आवश्यकताधारित विभिन्न कोटि के कुल 139 (एक सौ उनचालीस) नये पदों का सृजन करने तथा पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 04 (चार) पदों के प्रत्यर्पण के संबंध में। 108. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

109. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों एवं अंशकालीन पदाधिकारियों को शिविर/कोर्स हेतु यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता के दरों में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹22,51,521/—(बाईस लाख एकावन हजार पाँच सौ एककीस रुपये) मात्र एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों को शिविरों में आने-जाने के लिए AC 3 Tier में यात्रा करने की स्वीकृति के संबंध में। 109. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

110. मांग संख्या-37 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना एवं विकास विभाग से योजना उद्ध्य हेतु किये गये अनुरोध के आलोक में मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, उप शीर्ष-0121 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि ₹250.00 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ रुपये) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

110. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

111. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु विभागीय संकल्प-721 दिनांक-16.02.2024 एवं उक्त संकल्प द्वारा स्वीकृत इंटरनशिप नीति में संशोधन किये जाने के संबंध में।

111. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

112. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगामी खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को आवश्यक क्रियाशील पूँजी 12000.00 करोड़ (बारह हजार करोड़) रुपये के विरुद्ध कुल 9600.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ करोड़) रुपये की ऋण राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा, व्यावसायिक बैंक/नाबार्ड आदि से प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

112. स्वीकृत।

परिवहन विभाग

113. वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर महत्वपूर्ण पर्वों में तीन माह तक बसों के परिचालन हेतु निजी बस ऑपरेटरों को बस क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि, प्रति सीट सब्सिडी एवं निर्धारित भाड़े में विशेष छूट हेतु क्रमश 06,12,00,000/-(छः करोड़ बारह लाख रुपये), राशि 07,27,06,000/-(सात करोड़ सताईस लाख छः हजार रुपये) एवं राशि 24,06,36,000/-(चौबीस करोड़ छः लाख छत्तीस हजार रुपये) सहित कुल 37,45,42,000/-(सैंतीस करोड़ पैंतालीस लाख बियालिस हजार रुपये) मात्र का बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि प्राप्त कर व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

113. स्वीकृत।

कृषि विभाग

114. चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का वित्तीय वर्ष 2025-26 3125.39 में लाख (इकतीस करोड़ पच्चीस लाख उनतालीस हजार रुपये मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
114. स्वीकृत।

कृषि विभाग

115. वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केन्द्र प्रायोजित PM-RKVY अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 15364.00 लाख (एक सौ तिरेपन करोड़ चौसठ लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
115. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

116. बिहार प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 के गठन के संबंध में।
116. स्वीकृत।

गृह विभाग

117. बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला/क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं/जिला चलंत विधि विज्ञान इकाईयों के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध निर्धारित मानक के आधार पर सहायक निदेशक (राजपत्रित) तथा वरीय वैज्ञानिक सहायक (अराजपत्रित) की सेवा अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।
117. स्वीकृत।

गृह विभाग

118. लोदीपुर, पटना में विशेष कार्य बल (STF) के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि ₹6311.00 लाख (तिरसठ करोड़ ग्यारह लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में।
118. स्वीकृत।

वित्त विभाग

119. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 55% के स्थान पर 58% महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में।
119. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

120. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना मद से 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति। 120. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

121. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय में राज्य स्कीम से Control Command Centre के निर्माण की स्वीकृति तथा उक्त निर्माण कार्य पर कुल ₹9,15,00,000/—(नौ करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति सहित वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त राशि का बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से उपबंध एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 121. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

122. एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (X-BIS), हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD), एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर (ETD) और डोर फ्रम मेटल डिटेक्टर (DFMD) के क्रय हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131 (ज़)(त) के आलोक में नामांकन के आधार पर तथा 131 (फ) के तहत अग्रिम के रूप में राशि ₹1,00,75,313/—(एक करोड़ पचहत्तर हजार तीन सौ तेरह रुपये 12% विभागीय शुल्क सहित) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 122. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

123. बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन एवं वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद का सृजन किये जाने के संबंध में। 123. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

124. सेवानिवृत्त सरकारी सवकों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ अनुमान्य किये जाने के संबंध में। 124. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

125. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार आम चुनावों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित नियम एवं निर्देश (ब्लू बुक) के प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सुरक्षा संबंधी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार हेलीपैड, जनसभा के लिए मंच तथा मैदान की बैरिकेडिंग एवं रोड शो के दौरान सुरक्षा हेतु किये जाने वाले बैरिकेडिंग आदि कार्यों के क्रियान्वयन हेतु संवेदकों को सूचीबद्ध कर अथवा स्थानीय प्रचार-प्रसार के माध्यम से कार्य कराने के संबंध में। 125. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

126. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) परियोजनाओं के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के द्वारा निर्गत RFP एवं Model Concession Agreement के आधार पर विभाग द्वारा तैयार प्रारूप Model Bidding Document की स्वीकृति एवं परियोजना विशेष की आवश्यकतानुसार विशेष शर्तों को निविदा में जोड़ने हेतु विभाग (यथा—पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति के संबंध में।
126. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

127. “बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025” के गठन के संबंध में।
127. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

128. पी०पी०आई०एन० के माध्यम से सारण (छपरा) जिलान्तर्गत बंगरा— किशुनपुर क्लस्टर के कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क्स (एम०कैड० डब्लू०एम०) का आधुनिकीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 5040.00 लाख (पच्चास करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।
128. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

129. पी०पी०आई०एन० के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोहम्मदपुर बादल (480) क्लस्टर के कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क्स (एम०कैड० डब्लू०एम०) का आधुनिकीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 5625.00 लाख (छप्पन करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।
129. स्वीकृत।